

22-11-16

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन
अधिकारी.....^{प्रशासनिक कार्य में व्यस्त} पर है। पत्रावली
द्वारा अनुसार दिनांक 30-11-16.....को पेश हो।

30-11-16 वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन
किया गया आदेश दिनांक 4-10-16 का पुनः अवलोकन
किया बाड़ी के संरक्षक की मृत्यु हो जाने के कारण
तथा बाड़ी जाबालीग होने की स्थिति में बाड़ चलने
योग्य नहीं होने से यदि बाड़ द्वारा अपना
संरक्षक नियुक्त करवाया जाकर बाड़ को पुनः
चालु करवाने की व्यवस्था के साथ ही बाड़
बाड़ी रसी स्टेज पर रजिस्ट्रार किया जाता है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली
जखर से कान की जाकर बाड़ तकनील शरिफा
दफतर हो।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर